न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) मुकलावा

प्रकरण सं. प्र० स० 40/19

सरकार बनाम

निर्णय

दिनांक :- 13/3/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामील हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी को सुना गया। कोई स्पष्टीकरण व अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 1 MP के मु.नं. 33 कि.नं. 2512 के कुल .127 है। क्षेत्रफल सरकारी। बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी। ख.सं. 2075 में अनाधिकृत काश्त किया है। अप्रार्थी ने उक्त राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ सं. 2075 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट, 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी को इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी ....आ.व.रु. प्रति है. 1.016 का तावान 50 गुणा गुणा राशि 51/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इन्द्राज 21 उक्त भूमि की फसल 0.127 है० गेहूं

पटवारी हल्का को मतालबा डालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर "घ" में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
मुकलावा (श्रीगंगानगर)

'घ' रजिस्टर दप 20.3.19.. के
पृष्ठ स. 26 क्र.स. 1 राशि
रु............... मांग दर्ज की गई।
51+2500= 2551

Scanned by CamScanner